मध्यप्रदेश शासन
संस्कृति विभाग,मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 2015

नियम

1. नियम – यह नियम हिन्दी भाषा सम्मान 2015 कहलायेगे।

मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा हिन्दी के विकास में अमूल्य योगदान के लिए पांच सम्मानों की स्थापना का निर्णय लिया जाता है। जो निम्नानुसार है :–

1. **सूचना प्रोद्यौगिकी सम्मान**
2. **निर्मल वर्मा सम्मान**
3. **फादर कामिल बुल्के सम्मान**
4. **गुणाकर मुले सम्मान**
5. **हिन्दी सेवा सम्मान**

2. योजना :– हिन्दी सॉफ्टवेयर संर्चइंजिन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल आडियो विजुअल एडिटिंग आदि में उत्कृष्ट योगदान, भारतीय अप्रवासी होकर विदेश में हिन्दी सेवा में उत्कृष्ट योगदान, विदेशी मूल के व्यक्तियों के बीच हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं/बोलियों के विकास, प्रचार–प्रसार, पठन–पाठन आदि का वातावरण निर्मित करने, हिन्दी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन एवं पाठ्य–पुस्तकों के निर्माण में सहयोग एवं अहिन्दी भाषी लेखकों एवं साहित्यकारों को अपने लेखन तथा सृजन से हिन्दी को समृद्ध करने के लिए प्रेरित करने वाले सर्जक को सम्मानित करना।

3. उद्देश्य :– हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में पठन–पाठन, वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन, अहिन्दी भाषी लेखक एवं साहित्यकारों को अपने लेखन तथा सृजन से हिन्दी की विविधता और उसके सांस्कृतिक वैविध्य के संरक्षण एवं संवर्द्धन को प्रोत्साहित करना है। समकालीन व्यावसायिक चुनौतियों में भाषा के अस्तित्व को बनाये रखने तथा उसके अर्थ–सार्मथ्य से जनसामान्य को परिचित कराने का उद्यम भी सम्मान का एक भाग होगा।

4. क्षेत्र :– सम्मान निम्नलिखित क्षेत्र में कार्य करने पर दिया जा सकेगा :–

1. **सूचना प्रोद्यौगिकी सम्मान** :– हिन्दी सॉफ्टवेयर संर्चइंजिन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल आडियो विजुअल एडिटिंग आदि में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को सूचना प्रोद्यौगिकी सम्मान प्रदान किया जायेगा।
2. **निर्मल वर्मा सम्मान** :– "भारतीय अप्रवासी होकर विदेश में हिन्दी के विकास में अमूल्य योगदान करने वाले साधकों को निर्मल वर्मा सम्मान प्रदान किया जायेगा।"
3. **फादर कामिल बुल्के सम्मान** :– "उन विदेशी मूल के लोगों को जिन्होंने हिन्दी भाषा एवं उसकी बोलियों के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया हो, को फादर कामिल बुल्के सम्मान प्रदान किया जायेगा।"

निरंतर 2

4. **गुणाकर मुले सम्मान** :–"हिन्दी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन एवं पाठ्य–पुस्तकों के निर्माण के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वाले को गुणाकर मुले सम्मान प्रदान किया जायेगा।"

5. **हिन्दी सेवा सम्मान** :– "उन अहिन्दी भाषी लेखकों और साहित्यकारों को जिन्होंने अपने लेखन तथा सृजन से हिन्दी को समृद्ध किया हो, उन्हें हिन्दी सेवा सम्मान प्रदान किया जायेगा।"

सम्मान निधि :– प्रत्येक सम्मान के अन्तर्गत सम्मान राशि रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) प्रशस्ति पट्टिका शाल और श्रीफल।

6. **अवधि** :– वर्ष में एक बार सम्मानित किया जायेगा।

7. **पात्रता**

1. अध्येता की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
2. ऐसे अध्येता विद्वान जिन्होंने उद्देश्य के अनुरूप हिन्दी भाषा/बोलियों के क्षेत्र में महत्पूर्ण योगदान दिया हो, भले ही उनका कोई ग्रन्थ प्रकाशित न हुआ हो।

8. **प्रदान करने का तरीका**

1 योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु दैनिक समाचार–पत्रों के माध्यम से विज्ञापन दिया जायेगा। सम्मान के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संचालक, संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश को प्रस्तुत करना होगा।

2 यदि कोई अध्येता स्वयं आवेदन नहीं करता और उसके संबंध में अनुशंसा अन्य साहित्यिक/कला संस्था/साहित्यकारों/कलाकारों के माध्यम से संस्कृति संचालनालय को मिलती है, तो संचालनालय आवश्यक परीक्षण के बाद (जो वह आवश्यक समझें) प्रकरण पर निर्णय ले सकेगा।

3 निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों को ही विचार क्षेत्र में लिया जायेगा।

4 सम्मान के संबंध में आवेदन/जानकारी विभागीय वेबसाइट www.culturemp.in से भी अपलोड की जा सकती है।

9.चयन प्रक्रिया :–

1 हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं/बोलियों के रचनाकारों/विद्वानों/विशेषज्ञों/शोधार्थियों/अध्येताओं की चार सदस्यीय समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा ।

2 राज्य शासन द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति प्राप्त आवेदन पत्रों/प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार करेगी।

3 चयन करने के संबंध में समिति की अनुशंसा को अंतिम निर्णय की तरह मान्य किया जायेगा।

4 चयन समिति की अनुशंसा राज्य शासन के लिए बंधनकारी होगी।

5 सम्मान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मानों के अनुरूप नामांकन आंमत्रित किये जायेंगे। यह भी अपेक्षा की जायेगी कि नामांकनकर्ता, के प्रकाशनों का ब्यौरा, आदि भी नामांकन के साथ संलग्न हो।

6 प्राप्त नामांकनों को चयन–समिति के समक्ष रखा जायेगा।

निरंतर 3

7 चयन–समिति प्राप्त नामांकनों की समीक्षा करेगी। चयन समिति को यह स्वंतत्रता होगी कि वह ऐसे आवेदनों (जो किन्हीं कारणों से समिति के समक्ष प्रस्तुत न हुए हों) या नाम को स्वविवेक से विचारार्थ शामिल कर सकेगी।

8 सम्मान की घोषणा से पूर्व अनुशंसित विशेषज्ञ/साहित्कार से सम्मान ग्रहण करने की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

09 शासन की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही सम्मान घोषित किया जायेगा।

10 यदि चयन–समिति सम्मान के लिए किसी विशेषज्ञ/साहित्यकार को उपयुक्त नहीं पाती है, तो उस वर्ष वह सम्मान किसी को नहीं दिया जा सकेगा.

11 सम्मान घोषित हो जाने के बाद विशेषज्ञ/साहित्यकार उसे लेना अस्वीकार कर देता है तो उस वर्ष के लिए फिर किसी को सम्मान नहीं दिया जा सकेगा।

12 सम्मान चयन की कार्यवाही एवं अनुशंसा उपरांत साहित्यकार के नाम की घोषणा होने तथा अलंकरण होने तक की अवधि के बीच यदि सम्मानित का देहांत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में घोषित सम्मान सम्मानित अध्येता की ओर से उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य को प्रदान किया जा सकेगा।

10. **व्याख्या** :इन नियमों की व्याख्या के संबंध में शासन का निर्णय अंतिम होगा।

Bhale

(पदमरेखा ढोले)
अवर सचिव
म.प्र. शासन संस्कृति विभाग